तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
18.5.21	उभय पक्ष [illegible] [illegible]ारसेन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] पर है / पदरिक्त [illegible] अतः पत्रावली दिनांक 21.6.21 को पेश हों। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29.6.21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 3.0[illegible] को पेश हो।	
17.11.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम संतोकपुरा मे पेश हुई, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एवं परवार हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:46:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 199/20 प्रा॰पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1- श्री देवी सिंह s/o श्री भरतसिंह राठौड़ निवासी- स्टेशननगर तहसील- मांडल (भील॰)

--प्रार्थी

बनाम

1- श्रीनारायण s/o श्री टोकमा गुर्जर निवासी- कोलीखेड़ा तहसील- माण्डल (भील॰)

--विपक्षीगण

(प्रहलादित प्रा॰पत्र आतंक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 17.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......कोलीखेड़ा.............पटवार हल्का संतोकपुरा......तहसील मांडल/में उसके [illegible] /संयुक्त खातों की आराजी नं.........7065.......................कुल किता ....01.................... रकबा..........0.2 बीघा ~~हेक्टेयर~~ 0.2 बिस्वा........स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक....12.11.20.........को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...कोलीखेड़ा. पटवार हल्का.......संतोकपुरा.........तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.........7065.............................. ....कुल किता ....01......................रकबा.......0.2 बीघा ~~हेक्टेयर~~ 0.2 बिस्वा.... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..........रोजा.....................को ....500/-......../- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके [illegible] बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर [illegible] की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:46:47 IST
Reason: SelfAttested

डॉ॰ पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा करने [illegible] जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

डॉ॰ पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021